(32) (52)

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

समक्ष : मनोज गोयाल

प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3251—एक/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 30—8—2011 पारित द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर राजगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 90/बी—121/2007—08.

....

1— राजेन्द्र कुमार पुत्र गंगाराम

2— जगदीश पुत्र गंगाराम

3— भगवानसिंह पुत्र गंगाराम

निवासीगण—ग्राम छापीहेड़ा तह0 खिलचीपुर,

जिला—राजगढ़ ——— आवेदकगण

<u>विरूद्ध</u>

1— मध्यप्रदेश शासन

2— बाबूलाल पुत्र रामलाल

3— लक्ष्मीनारायण पुत्र रामलाल

निवासीगण—ग्राम छापीहेड़ा तह0 खिलचीपुर,

जिला—राजगढ़ ——— अनावेदकगण

....

श्री एम0के0 सक्सैना, अभिभाषक, आवेदकगण

अनावेदकगण एकपक्षीय

....

: : आ दे श : :

(आज दिनांक 15/11/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर, राजगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 30—08—2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उक्त विवादित भूमि खसरा क्रमांक 141/10/1 में से रकबा 0.506 हैक्टेयर की भूमि अनावेदकगण क्र0 2 एवं 3 के पिता रामलाल पुत्र उदाजी निवासी ग्राम छापीहेडा से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.07.1998 को

आवेदकगण द्वारा क्रय किया तथा दिनांक 03.08.98 को नामांतरण किया गया है जिसकी प्रविष्टि नामांतरण पंजी क्रमांक 15 में अंकित है । इस आशय का प्रतिवेदन नायब तहसीलदार छापीहेड़ा द्वारा दिया गया है । उक्त विवादित भूमि स्व0 रामलाल पिता उदाजी ने प्रकरण क्रमांक 149–1–1953 द्वारा नीलामी में दिनांक 24.10.53 को प्राप्त की गई थी । अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर ने पटवारी एवं नायब तहसीलदार छापीहेड़ा द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर संहिता की धारा 165(7)(क) के अंतर्गत स्वमेव निगरानी इस आशय का प्रकरण दर्ज किया कि ग्राम छापीहेड़ा में स्थित ख0क्र0 141/29 रकबा 1.00 हैक्टेयर भूमि का पट्टा वर्ष 1981–82 में रामलाल पुत्र उदाजी को दिया था किन्तु रामलाल ने आवेदकगण को बिना अपर कलेक्टर की अनुमति के विक्रय कर दिया है । अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा आवेदकगणों को कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया गया, जिसका जवाब आवेदकगण द्वारा दिया गया कि खसरा क्र0 141/10/1 में से रकबा 0.506 है0 भूमि क्रय की है न कि खसरा क्रं0 141/29 किन्तु न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्रमांक 20/बी–121/2000–01 दर्ज कर आदेश दिनांक 20.05.2002 द्वारा नामांतरण निरस्त किया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा निगरानी अपर आयुक्त भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई जो प्रकरण क्रमांक 165/निगरानी/2001–02 में दर्ज होकर आदेश दिनांक 02.12.2002 से स्वीकार की जाकर, अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश निरस्त किया तथा प्रकरण विधिवत जांच हेतु प्रत्यावर्तित किया गया । प्रकरण प्रत्यावर्तित होने पर अपर कलेक्टर द्वारा विधिवत जांच किये बिना आदेश दिनांक 30.08.2011 पारित कर नामांतरण निरस्त कर दिया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है ।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रस्तुत प्रकरण में पटवारी एवं नायब तहसीलदार ने त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन दिया है । आवेदकगण का खसरा क्रमांक 141/29 से कोई संबंध नहीं है । आवेदकगण ने खसरा क्रमांक 141/10/1 में से 0.506 हैक्टेयर भूमि अनावेदकगण क्र0 2 व 3 के पिता रामलाल से क्रय की है । रामलाल के पिता उदा ने उपरोक्त भूमि जो खसरा क्रं0 141/11 पूर्व में था, नीलामी में प्र0क्र0 149–1/1953 दिनांक 24.10.53 को क्रय की थी, जिस पर उदा का नामांतरण हुआ। पटवारी ने 1975 में 141/11 के स्थान पर 141/10/1 कर दिया । अपर कलेक्टर ने ख0क्र0 141/29 के पट्टे का मूल प्रकरण बुलाये प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित किया है । तर्क में यह भी बताया गया है कि अपर कलेक्टर ने संहिता की धारा 165(7)(क)

के आशयों को समझने में त्रुटि की है । पटवारी के कटान अंकित नहीं किये गये है और न ही युक्तियुक्त जांच की है । त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन के आधार पर आवेदकगण के विरूद्ध कार्यवाही की गई है । अंत में आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर के आदेश को निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदकगण की ओर से सूचना उपरांत प्रकरण में कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया । प्रकरण में अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा प्रकरण को विधिवत स्वमेव निगरानी में लेकर आवेदक को कारण बताओ नोटिस जारी कर उसको सुनकर ही विधिवत आदेश पारित किया । आवेदक द्वारा इस तथ्य पर कोई आपत्ति भी नहीं ली गई है । उसे नियमानुसार पट्टे की भूमि विक्रय से पूर्व कलेक्टर की अनुमति लेनी थी, उसने इसका भी विरोध नहीं किया । उसकी एक मात्र आपत्ति यह है कि उसने खसरा नं0 141/10/1 की भूमि क्रय की थी, जबकि आदेश खसरा नं0 141/29 का पारित हुआ है । आदेश में भूमि के रकबे तथा भूमिस्वामी के नाम पर विवाद नहीं है। आवेदक ने विवादित आदेश को इस निगरानी में चुनौती दी है । इससे स्पष्ट है कि खसरा नं0 141/29 के सम्बन्ध में पारित आदेश से वह प्रभावित हो रहा है । उसने स्वयं अपने तर्कों में यह कहा है कि पटवारी ने उक्त गांव में खसरा नंम्बरों में परितर्वन किया है ।

उक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिवत होने से यह निगरानी अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर